

No. P-13033/261/2022-EXPLOSIVE

भारत सरकार/Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/Ministry of Commerce and Industry
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग/Deptt for Promotion of Industry & Internal
Trade
विस्फोटक अनुभाग/Explosives Section

Udyog Bhawan, New Delhi-110011

Dated: 29th April, 2024

NOTE FOR PUBLIC & STAKEHOLDER CONSULTATION

Subject: Proposal for Repeal of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and introduction of the Explosives Bill, 2024 for enactment of the Act-reg.

This refers to the note for public & Stakeholder consultation dated 15.04.2024 placed in public domain on the above cited subject.

2. In this regard, this department received requests from concerned Stakeholder seeking text of the proposed provisions which are highlighted in para no. 5 of the above mentioned note dated 15.04.2024.

3. Therefore, for better understanding for the general public and concerned stakeholder of the provisions which are proposed to be amendment/ inserted and to achieve the objective of Public & Stakeholder Consultations in more true & letter spirit. The detailed comparative Statement of the relevant existing provisions of the Explosives Act, 1884 and the proposed provisions in the draft Explosive Bill, 2024 are annexed herewith for ready reference.

4. This note shall be treated as in addition to the note dated 15.04.2024. Further, time for seeking comments/suggestions from the General public, Industry associations and other persons and entities concerned has also been extended till **25.05.2024**.

5. This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

(Pritam Kumar)

Under Secretary to Govt. of India

Tel: 011-23063148

Email ID: pritam.k@gov.in

Comparative Statement of the Existing Provisions of the Explosives Act, 1884 and the Draft Explosive Bill, 2024

Existing Provisions of the Explosives Act, 1884	Proposed Provisions of the Draft Explosive Bill, 2024
THE EXPLOSIVES ACT, 1884 ACT NO. 4 OF 1884	THE EXPLOSIVE BILL, 2024
<p>1. Short title —(1)This Act may be called the Explosives Act, 1884; and</p> <p>(2) Local extent.—It extends to whole India</p> <p>2. Commencement —(1)This Act shall come into force on such day as the Central Government, by notification in the Official Gazette, appoints.</p> <p>3.[<i>Repeal of portions of Act 12 of 1875.] Rep. by the Indian Ports Act,1889 (10of1889), s.2 and the Second Schedule.</i></p>	<p>1. Short title and commencement.—</p> <p>(1) This Act may be called the Explosives Act, 2024.</p> <p>(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification, appoint;</p>
<p>4. Definitions—In this Act, unless the context otherwise requires —</p> <p>a. “aircraft” means any machine which can derive support in the atmosphere from the reactions of the air, other than the reactions of the air against the earth's surface, and includes balloons, whether fixed or free, airships, kites, gliders and flying machines;</p> <p>b. “carriage” includes any carriage, wagon, cart, truck, vehicle or other means of conveying goods or passengers by land, in whatever manner the same may be propelled,</p> <p>c. “District Magistrate”, in relation</p>	<p>2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,—</p> <p>(a). “aircraft” means any machine which can derive support in the atmosphere from the reactions of the air, other than the reactions of the air against the earth's surface and includes balloons, whether fixed or free, airships, kites, gliders and flying machines;</p> <p>(b) “carriage” includes any carriage, wagon, cart, truck, vehicle or other means of conveying goods or passengers by land, in whatever manner the same may be propelled;</p> <p>(c) “District Magistrate”, in relation to any area for which a Commissioner of Police has been appointed, means the Commissioner of Police thereof and</p>

<p>to any area for which a Commissioner of Police has been appointed, means the Commissioner of Police thereof and includes—</p> <p>a. any such Deputy Commissioner of Police, exercising jurisdiction over the whole or any part of such area, as may be specified by the State Government in this behalf in relation to such area or part: and</p> <p>b. an Additional District Magistrate;</p> <p>d. “explosive” means gunpowder, nitroglycerine, nitroglycol, gun-cotton, di-nitro-toluene, tri-nitro-toluene, picricacid, di-nitro-phenol, tri-nitro-resorcinol (styphnicacid), cyclo-trime-thylene-trinitramine, penta-erythritol-tetranitrate, tetryl, nitro-guanidine, leadazide, leads typhynate, fulminate of mercury or any other metal, diazo-di-nitro-phenol, coloured fires or any other substance whether a single chemical compound or a mixture of substances, whether solid or liquid or gaseous used or manufactured with a view to produce a practical effect by explosion or pyrotechnic effect; and includes fog-signals, fireworks, fuses, rockets, percussion-caps, detonators, cartidges, ammunition of all descriptions and every adaptation or preparation of an explosive as defined in this clause;</p>	<p>includes—</p> <p>i. any such Deputy Commissioner of Police, exercising jurisdiction over the whole or any part of such area, as may be specified by the State Government in this behalf in relation to such area or part, and</p> <p>ii. an Additional District Magistrate;</p> <p>d. “explosive” means gunpowder, nitroglycerine, nitroglycol, gun-cotton, di-nitro-toluene, tri-nitro-toluene, picricacid, di-nitro-phenol, tri-nitro-resorcinol (styphnicacid), cyclo-trime-thylene-trinitramine, penta-erythritol-tetranitrate, tetryl, nitro-guanidine, leadazide, leadstyphynate, fulminate of mercury or any other metal, diazo-di-nitro-phenol, coloured fires or any other substance whether a single chemical compound or a mixture of substances, whether solid or liquid or gaseous used or manufactured with a view to produce a practical effect by explosion or pyrotechnic effect; and includes fog-signals, fireworks, fuses, rockets, percussion-caps, detonators, cartridges, ammunition of all descriptions and every adaptation or preparation of an explosive as defined in this clause;</p> <p>e. “export” means taking out of India to a place outside India by land, sea or air;</p> <p>f. “import” means to bring into India</p>
--	---

<p>e. "export" means taking out of India to a place outside India by land, sea or air;</p> <p>f. "import" means to bring into India from a place outside India by land, sea or air;</p> <p>(g) "master",—</p> <p>a. In relation to any vessel or aircraft means any person, other than a pilot, harbour master, assistant harbour master or berthing master, having for the time being the charge or control of such vessel or aircraft, as the case may be; and</p> <p>b. In relation to any boat belonging to a ship, means the master of that ship;</p> <p>h. "manufacture" in relation to an explosive includes the process of—</p> <p>(i) dividing the explosive into its component parts or otherwise breaking up or unmaking the explosive, or making fit for use any damaged explosive; and</p> <p>(ii) re-making, altering or repairing the explosive;</p> <p>i. "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;</p> <p>j. "vessel" includes any ship, boat, sailing vessel, or other description of vessel used in</p>	<p>from a place outside India by land, sea or air;</p> <p>(g) "licencing authority" means the Chief Controller of Explosives or such other authority as may be prescribed;</p> <p>(h) "manufacture" in relation to an explosive includes the process of—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dividing the explosive into its component parts or otherwise breaking up or unmaking the explosive or making fit for use any damaged explosive; and 2. re-making, altering or repairing the explosive; <p>(i) "master",—</p> <p>a. in relation to any vessel or aircraft means any person, other than a pilot, harbour master, assistant harbor master or berthing master, having for the time being the charge or control of such vessel or aircraft, as the case may be, and</p> <p>b. in relation to any boat belonging to a ship, means the master of that ship;</p> <p>j. "notification" means the notification published in the Official Gazette;</p> <p>k. "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and</p> <p>l. "vessel" includes any ship, boat, sailing vessel or other description of vessel used in navigation whether propelled by oars or otherwise and anything made for the conveyance, mainly by water,</p>
--	---

<p>navigation whether propelled by oars or otherwise and anything made for the conveyance, mainly by water, of human beings or of goods and a caisson.]</p>	<p>of human beings or of goods and a caisson.</p>
<p>5. Power to make rules as to licensing of the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export of explosives. — (1) The Central Government may, for any part of India, make rules consistent with this Act to regulate or prohibit, except under and in accordance with the conditions of a licence granted as provided by those rules, the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export of explosives, or any specified class of explosives.</p> <p>(2) Rules under this section may provide for all or any of the following, among other matters, that is to say :—</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The authority by which licences may be granted; b. The fees to be charged for licences, and the other sums (if any) to be paid for expenses by applicants for licences; c. The manner in which applications for licences must be made, and the matters to be specified in such applications; d. The form in which, and the conditions on and subject to which, licences must be granted; e. the period for which licences are to remain in force; 	<p>These provisions have been shifted to Section 25 of the proposed Bill.</p> <p style="text-align: center;">-----</p>

<p>(ee) the authority to which appeals may be preferred under section 6F, the procedure to be followed by such authority and the period within which appeals shall be preferred, the fees to be paid in respect to such appeals and the circumstances under which such fees may be refunded:</p> <p>(eea) the total quantity of explosives that a licensee can purchase in a given period of time;</p> <p>(eeb) the fees to be charged by the Chief Controller of Explosives or any officer authorized by him in this behalf, for services rendered in connection with the manufacture, transport, import or export of explosives;]</p> <p>f. the exemption absolutely or subject to conditions of any explosives or any person or class of persons] from the operation of the rules.</p>	
<p>5A. Persons already in business in respect to certain explosives to carry on such business without licence for a certain period.—Notwithstanding anything in section 5 or in the rules made there under where, immediately before the commencement to the Indian Explosives (Amendment) Act, 1978 (32 of 1978), any person was carrying on the business of manufacture, sale, transport, import or export of any explosive (for which no licence was required under this Act before its amendment by the Indian Explosives (Amendment) Act, 1978, then, such person shall be entitled to continue to carry on such business</p>	<p>Transitional provisions not required now.</p>

<p>without licence in respect to such explosive—</p> <p>a. for a period of three months from the date of such commencement; or</p> <p>b. if before the expiry of the said period of three months, such person has made an application for grant of licence under this Act for such business in such explosive, until the final disposal of his application, whichever is later.]</p>	
<p>6. Power for Central Government to prohibit the manufacture, possession or importation of specially dangerous explosives—(1) Notwithstanding anything in the rules under the last foregoing section, the Central Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette,—</p> <p>a. prohibit, either absolutely or subject to conditions, the manufacture, possession or importation of any explosive which is of so dangerous a character that, in the opinion of the Central Government, it is expedient for the public safety to issue then notification.</p> <p>(2) The Customs Act, 1962 (52 of 1962) shall have effect in relation to any explosive with regard to the importation of which a notification has been issued under this section and the vessel, carriage or aircraft containing such explosive as that Act has in relation to any article the</p>	<p>3. Power of Central Government to prohibit manufacture, possession, use, sale, transport, import or export of explosive—</p> <p>(1) The Central Government may, by notification, prohibit, either absolutely or subject to conditions, the manufacture, possession, use, sale, transport, import or export of any explosive or any specified class of explosives which is of so dangerous character that, in the opinion of the Central Government, it is expedient for the public safety to do so.</p> <p>(2) The Central Government shall prescribe the authority competent to grant, suspend or revoke a licence and to perform certain other functions under this Act.</p> <p>(3) The Customs Act, 1962 (52 of 1962) shall have effect in relation to any explosive with regard to the importation as specified under subsection (1) and the vessel, carriage or aircraft containing such explosive as</p>

<p>importance of which is prohibited or regulated there under and the vessel, carriage or aircraft containing such article.</p>	<p>that Act has in relation to any article the importation of which is prohibited or regulated thereunder and the vessel, carriage or aircraft containing such article.</p>
<p>6B. Grant of licences— (1) Where a person makes an application for licence under section 5, the authority prescribed in the rules made under that section for grant to licences (herein after referred to in this Act as the licensing authority), after making such inquiry, if any, as it may consider necessary, shall, subject to the other provisions of this Act, by order in writing either grant the licence or refuse to grant the same.</p> <p>(2) The licensing authority shall grant a licence—</p> <p>(a) where it is required for the purpose of manufacture of explosives if the licensing authority is satisfied that the person by whom licence is required—</p> <ul style="list-style-type: none"> i. possesses technical know-how and experience in the manufacture of explosives; or ii. has in his employment or undertakes to employ a person or persons possessing such technical know-how and experience; or <p>(b) where it is required for any other purpose, if the licensing authority is satisfied that the person by whom licence is required has a good reason for obtaining the same.</p>	<p>5. Grant of licence—</p> <p>(1) Any person who intends to manufacture, possess, use, sell, transport, import or export any explosive or specified class of explosive shall make an application for obtaining a licence to the licensing authority in such form, along with such documents, with such fee and other expenses in such manner as may be prescribed.</p> <p>(2) Where any person makes an application for a licence under sub-section (1), the licensing authority, after making such inquiry, as it may consider necessary taking into consideration the prescribed provisions, shall, subject to the other provisions of this Act, by order in writing either grant the licence or refuse to grant the same.</p> <p>(3) The licensing authority shall grant a licence,-</p> <p>(a) where it is required for the purpose of manufacture of explosives if the licensing authority is satisfied that the person by whom licence is required—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) possesses technical know-how and experience in the manufacture of explosives, or (ii) has in his employment or undertakes to employ a person or persons possessing such technical

	<p>know-how and experience; or</p> <p>(b) where it is required for any other purpose, if the licensing authority is satisfied that the person by whom licence is required has a good reason for obtaining the same.</p> <p>(4) A licence may be granted under this Act for such period subject to such conditions as may be prescribed.</p> <p>(5) The licensing authority shall specify in the licence granted under this section such quantity of explosives that a licensee can manufacture, possess, sell, transport, import or export, for such period, as may be prescribed.</p>
<p>[9B. Punishment for certain offences—(1) Whoever, in contravention of rules made under section 5 or of the conditions of a licence granted under the said rules—</p> <p>a. manufactures, imports or exports any explosive shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;</p> <p>b. possesses, uses, sells or transports any explosive shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both; and</p> <p>c. in any other case, with fine which may extend to one</p>	<p>14. Punishment for certain offences-</p> <p>(1) Whoever, in contravention of the provisions of this Act and the rules made thereunder or of the conditions of a licence granted under this Act and the rules made there under, -</p> <p>a. manufactures, imports or exports any explosive shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both;</p> <p>b. possesses, uses, sells or transports any explosive shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both; and</p> <p>c. in any other case, with fine</p>

<p>thousand rupees.</p> <p>2. Whoever in contravention of a notification issued under section 6 manufactures, possesses or imports any explosive shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to five thousand rupees or with both; and in the case of importation by water, the owner and master of the vessel or in the case of importation by air, the owner, and the master of the aircraft, in which the explosive is imported shall, in the absence of reasonable excuse, each be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.</p> <p>3. Whoever—</p> <p>a. manufactures, sells, transports, imports, exports or possesses any explosive in contravention of the provisions of clause (a) of section 6A; or</p> <p>b. sells, delivers or dispatches any explosive in contravention of the provisions of clause (b) of that section,</p> <p>shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both; or</p> <p>c. in contravention of the provisions of section 8 fails to give notice of any accident shall be punishable—</p> <p>i. with fine which may extend</p>	<p>which may extend to twenty thousand rupees.</p> <p>2. Whoever in contravention of a notification issued under sub-section (1) of section 3 manufactures, possesses or imports any explosive shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both; and in the case of importation by water, the owner and master of the vessel or in the case of importation by air, the owner, and the master of the aircraft, in which the explosive is imported shall, in the absence of reasonable excuse, each be punishable with fine which may extend to one lakh rupees.</p> <p>3. Whoever—</p> <p>a. manufactures, sells, transports, imports, exports or possesses any explosive in contravention of the provisions of clause (a) of section 4; or</p> <p>b. sells, delivers or dispatches any explosive in contravention of the provisions of clause (b) of that section,</p> <p>shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both; or</p> <p>c. in contravention of the provisions of section 11 fails to give notice of any accident shall be punishable,—</p> <p>i. with fine which may extend to</p>
--	--

<p>to five hundred rupees, or</p> <p>ii. if the accident is attended by loss of human life, with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine or with both.</p>	<p>ten thousand rupees, or</p> <p>ii. if the accident is attended by loss of human life, with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.</p>
<p>Section 5 of the existing Act along with the Consequential changes</p>	<p>25. Powers to make rules.</p> <p>-</p> <p>(1) The Central Government may, by notification, subject to previous publication, make rules to carry out the provisions of this Act.</p> <p>(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely: —</p> <p>(a) Such other authority under clause (g) of section 2;</p> <p>(b) the authority competent to grant, suspend or revoke a licence under sub-section (2) of section 3;</p> <p>(c) the form and manner of making application, documents, fees and expenses to be paid, under sub-section (1), the period and conditions on which a licence may be granted under sub-section (4), the quantity and the period of explosives that a licensee can manufacture, possess, sell, transport, import or export under sub-section (5) of section 5;</p>

(d) the authority and the period for making an appeal under sub-section (1), the fee for such appeal under sub-section (4), and the procedure to be followed by the appellate authority under sub-section (5) of section 9;

(e) the powers of inspection, search and seizure, detention and removal under sub-section (1) of section 10;

(f) the time and manner of giving notice under section 11;

(g) the procedure to regulate inquiries under clause (a), to enable the Chief Controller of Explosives to be present or represented at an inquiry under clause (b), to permit the Chief Controller of Explosives to examine any witnesses at an inquiry under clause (c), the procedure to be followed where the Chief Controller of Explosives is not present or represented at an inquiry under clause (d) and the manner in which and the time within which notices shall be given under clause (e) of sub-section (4) section 12;

(h) the manner of inquiry under sub-section (6) of section 13; and

	(i) any other matter which is to be, or may be prescribed.
----- Provisions added as abundant caution.	<p>27. Power to remove difficulties. –</p> <p>(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:</p> <p>Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.</p> <p>(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.</p>
----- Actions taken under the existing provisions of the Act, required to be saved.	<p>28. Repeal and Savings.-</p> <p>(1) The Explosives Act, 1884 (4 of 1884) shall stand repealed:</p> <p>Provided that such repeal shall not effect,-</p> <p>(i) the previous operations of the licences granted, orders and notifications made or issued or anything duly done or suffered under the enactment under repeal till the date of their expiry, if any; or</p> <p>(ii) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the enactment or orders under repeal; or</p> <p>(iii) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offences committed against</p>

	<p>the enactment under repeal; or</p> <p>(iv) any investigation or remedy in respect of any penalty, forfeiture or punishment, and any investigation, legal proceedings or remedy instituted, continued or enforced before the appointed date shall be continued and remain in force as if the same has instituted, continued or enforced under this Act.</p> <p>(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no court shall take cognizance of an offence under the repealed Act after the expiry of a period of three years from the date of the commencement of this Act.</p> <p>(3) Notwithstanding the repeal of the aforesaid enactment, the rules made under such enactment, which are in force on the date of commencement of this Act, shall continue to be in force till new rules are made under this Act.</p>
--	---

सं. पी-13033/261/2022-विस्फोटक

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
विस्फोटक अनुभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक: 29 अप्रैल, 2024

जनता एवं हितधारकों से परामर्श के लिए टिप्पण

विषय: विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) को निरस्त करने तथा अधिनियम को अधिनियमित करने हेतु विस्फोटक विधेयक, 2024 को प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्ताव।

यह उपर्युक्त विषय के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में जनसाधारण एवं हितधारकों के परामर्श के लिए दिनांक 15.03.2024 को प्रस्तुत टिप्पण के संदर्भ में है।


2. इस संबंध में, इस विभाग में, संबंधित हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रस्तावित प्रावधानों के विषय में सूचना मांगी गई है, जिसे दिनांक 15.03.2024 के उपर्युक्त नोट के पैरा सं.5 में रेखांकित किया गया है।

3.अतः, जिन प्रावधानों को संशोधित/शामिल करने का प्रस्ताव है, उन्हें जनसामान्य और संबंधित हितधारकों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए तथा जनसाधारण तथा हितधारकों से परामर्श के उद्देश्य को और अधिक सही अर्थ में प्राप्त करने के प्रयोजन से विस्फोटक अधिनियम, 1884 के संगत मौजूदा प्रावधानों और मसौदा विस्फोटक विधेयक, 2024 में प्रस्तावित प्रावधान का विस्तृत तुलनात्मक विवरण संदर्भ के लिए संलग्न है।

4. इस नोट को दिनांक 15.03.2024 के अतिरिक्त नोट के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, आमजन, उद्योग संघों और अन्य व्यक्तियों तथा संबंधित कंपनियों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने की अवधि को भी दिनांक 25.05.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,


प्रीतम कुमार

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23063148

इमेल: pritam.k@gov.in

विस्फोटक अधिनियम, 1884 के मौजूदा प्रावधानों और मसौदा विस्फोटक विधेयक, 2024 का तुलनात्मक विवरण

विस्फोटक अधिनियम, 1884 के मौजूदा प्रावधान	मसौदा विस्फोटक विधेयक, 2024 के प्रस्तावित प्रावधान
विस्फोटक अधिनियम, 1884 1884 की अधिनियम सं.4	विस्फोटक विधेयक, 2024
<p>1. संक्षिप्त नाम- (1) यह अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, 1884 कहा जा सकेगा; और (2) स्थानीय विस्तार- इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।</p> <p>2. प्रारंभ – (1) यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।</p> <p>3. [1875 के अधिनियम सं. 12 के प्रभाग का निरसन।] भारतीय पत्तन अधिनियम, 1889 (1889 का 10) की धारा 2 तथा अनुसूची 2 द्वारा निरसित।</p>	<p>1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ</p> <p>(1) इस अधिनियम को विस्फोटक अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।</p> <p>(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।</p>
<p>4. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- क. “वायुयान” से कोई ऐसी मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रक्रिया से भिन्न वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलम्ब प्राप्त कर सकती है, और इसके अन्तर्गत बेलून, चाहे स्थिर हों या अस्थिर, वायु पोत, पतंग, ग्लाइडर और उड़डयन मशीनें हैं; ख. “गाड़ी” के अन्तर्गत कोई गाड़ी, वैगन, छकड़ा, ट्रक, यान या भूमि पर माल या यात्रियों को ले जाने का कोई अन्य साधन है चाहे वह किसी प्रकार से चलाया जाए; ग. किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, “जिला मजिस्ट्रेट” से उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:-</p>	<p>2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) “वायुयान” से कोई ऐसी मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रक्रिया से भिन्न वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलम्ब प्राप्त कर सकती है, और इसके अन्तर्गत बेलून, चाहे स्थिर हों या अस्थिर, वायु पोत, पतंग, ग्लाइडर और उड़डयन मशीनें हैं; (ख) “गाड़ी” के अन्तर्गत कोई गाड़ी, वैगन, छकड़ा, ट्रक, यान या भूमि पर माल या यात्रियों को ले जाने का कोई अन्य साधन है चाहे वह किसी प्रकार से चलाया जाए; (ग) किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया</p>

(क) ऐसे सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा कोई पुलिस उपायुक्त जो ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और

(ख) कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट;

घ. "विस्फोटक" से अभिप्रेत है बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिकोल, गनकाटन, डाइनाट्रो-टोल्यून, ट्राई-नाइट्रो-टोल्यून, पिकरिक एसिड, डाई-नाइट्रो-फिनाॅल, ट्राई-नाइट्रो रिसार्सिनाल (स्टाइफिनिक एसिड), साइकलो ट्राइमेथिलीन ट्राइ-नाइट्रामाइन, पेन्टा एरिथ्रिटॉल-ट्रेटानाइट्रेट, टेट्रिल, नाइट्रोलग्वानिडीन, लेड एजाइड, लेड स्टाइफारेइनेट, पारे या अन्य धातु; या फल्मिनेट, डाइएजो-डाइनाइट्रो-फिनाल, रंगी आतिश या अन्य पदार्थ चाहे वह एक रसायन सम्मिश्रण या पदार्थों का मिश्रण हो, चाहे वह ठोस या तरल या गैसीय हो, जिसका प्रयोग या विनिर्माण विस्फोट द्वारा व्यावहारिक प्रभाव उत्पन्न करना या आतिशबाजी करना हो; और कुहरा-संकेत, आतिशबाजी, पतीले, राकेट, आघात टोपियां, विस्फोटक प्रेरक, कारतुस, सभी प्रकार के गोलाबारूद और इस खण्ड में यथा परिभाषित विस्फोटक का प्रत्येक अनुकूलन या निर्मित इसके अन्तर्गत है;

(ड.) "निर्यात" से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग के बाहर किसी स्थान पर भारत से ले जाना अभिप्रेत है;

(च) "आयात" से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है;

(छ) "मास्टर" से,-

क. किसी जलयान या वायुयान के संबंध में पाइलट, बन्दरगाह मास्टर, सहायक बंदरगाह मास्टर या बर्थिंग मास्टर से भिन्न ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय, यथास्थिति, ऐसे जलयान या वायुयान का भारसाधक या उसका नियंत्रक है; और

गया है, "जिला मजिस्ट्रेट" से उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:-

i. ऐसे सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा कोई पुलिस उपायुक्त जो ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और

ii. कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट;

(घ) "विस्फोटक" से अभिप्रेत है बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिकोल, गनकाटन, डाइनाट्रो-टोल्यून, ट्राई-नाइट्रो-टोल्यून, पिकरिक एसिड, डाई-नाइट्रो-फिनाॅल, ट्राई-नाइट्रो रिसार्सिनाल (स्टाइफिनिक एसिड), साइकलो ट्राइमेथिलीन ट्राइ-नाइट्रामाइन, पेन्टा एरिथ्रिटॉल-ट्रेटानाइट्रेट, टेट्रिल, नाइट्रोलग्वानिडीन, लेड एजाइड, लेड स्टाइफारेइनेट, पारे या अन्य धातु; या फल्मिनेट, डाइएजो-डाइनाइट्रो-फिनाल, रंगी आतिश या अन्य पदार्थ चाहे वह एक रसायन सम्मिश्रण या पदार्थों का मिश्रण हो, चाहे वह ठोस या तरल या गैसीय हो, जिसका प्रयोग या विनिर्माण विस्फोट द्वारा व्यावहारिक प्रभाव उत्पन्न करना या आतिशबाजी करना हो; और कुहरा-संकेत, आतिशबाजी, पतीले, राकेट, आघात टोपियां, विस्फोटक प्रेरक, कारतुस, सभी प्रकार के गोलाबारूद और इस खण्ड में यथा परिभाषित विस्फोटक का प्रत्येक अनुकूलन या निर्मित इसके अन्तर्गत है;

(ड.) "निर्यात" से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग के बाहर किसी स्थान पर भारत से ले जाना अभिप्रेत है;

(च) "आयात" से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से भारत के बाहर किसी स्थान से

ख. किसी पोत की किसी नौका के संबंध में उस पोत का मास्टर अभिप्रेत है;

(ज) "विनिर्माण" के अन्तर्गत किसी विस्फोटक के संबंध में निम्नलिखित की प्रक्रिया भी है:-

क. विस्फोटक को उसके संघटक भागों में विभाजित करने या अन्यथा रूप से तोड़ने या विघटित करने अथवा किसी खराब विस्फोटक को प्रयोग के योग्य बनाना; और

ख. विस्फोटक को फिर से बनाना, उसमें परिवर्तन करना या उसकी मरम्मत करना;

"(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) "जलयान" के अन्तर्गत कोई पोत, नौका, पाल-जलयान या किसी अन्य प्रकार का जलयान जो नौपरिवहन के लिए प्रयुक्त किया जाता है चाहे वह पतवारों से या अन्यथा चालित हो और मनुष्यों को या माल को मुख्यतः जल मार्ग द्वारा लाने या ले जाने के लिए बनाई गई कोई अन्य चीज और कसेन भी है।

भारत में लाना अभिप्रेत है;

(छ) "लाइसेंसिंग प्राधिकारी" से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जैसा भी विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ज) "विनिर्माण" के अन्तर्गत किसी विस्फोटक के संबंध में निम्नलिखित की प्रक्रिया भी है:-

1. विस्फोटक को उसके संघटक भागों में विभाजित करने या अन्यथा रूप से तोड़ने या विघटित करने अथवा किसी खराब विस्फोटक को प्रयोग के योग्य बनाना; और

2. विस्फोटक को फिर से बनाना, उसमें परिवर्तन करना या उसकी मरम्मत करना;

(झ) "मास्टर" से,-

क. किसी जलयान या वायुयान के संबंध में पाइलट, बन्दरगाह मास्टर, सहायक बंदरगाह मास्टर या बर्थिंग मास्टर से भिन्न ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय, यथास्थिति, ऐसे जलयान या वायुयान का भारसाधक या उसका नियंत्रक है; और

ख. किसी पोत की किसी नौका के संबंध में उस पोत का मास्टर अभिप्रेत है;

(ज) "अधिसूचना" का तात्पर्य आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "जलयान" के अन्तर्गत कोई पोत, नौका, पाल-जलयान या किसी अन्य प्रकार का जलयान जो नौपरिवहन के लिए प्रयुक्त किया जाता है चाहे वह पतवारों से या अन्यथा चालित हो और मनुष्यों को या माल को मुख्यतः जल

<p>5. विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, और आयात का अनुज्ञापन करने के बारे में नियम बनाने की शक्ति- (1) केन्द्रीय सरकार भारत के किसी भाग के लिए इस अधिनियम से संगत नियम, विस्फोटकों या विस्फोटकों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का विनिर्माण, कब्जा, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात और निर्यात इन नियमों द्वारा उपबंधित रूप से अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और अनुसार करने से अन्यथा करने को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने के लिए नियम बना सकेगी।</p> <p>(2) इस धारा के अधीन नियम अन्य विषयों के अलावा निम्नलिखित सब या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-</p> <p>(क) वह अधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जा सकेगी;</p> <p>(ख) अनुज्ञप्तियों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसों और अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदकों द्वारा व्ययों लेखे संदत्त की जाने वाली (यदि कोई हो) अन्य राशियां;</p> <p>(ग) वह रीति जिसमें अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन किए जाने चाहिएं और ऐसे आवेदनों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषय;</p> <p>(घ) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें जिन पर और जिनके अध्यक्षीन अनुज्ञप्तियां अनुदत्त की जानी चाहिएं;</p> <p>(ङ.) वह कालावधि जिसके लिए अनुज्ञप्तियां प्रवृत्त रहनी हैं;</p> <p>(ड.ड.) वह प्राधिकारी जिसको धारा 6च के अधीन अपीलें की जा सकेंगी, ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और वह अवधि जिसके भीतर अपीलें की जाएंगी, ऐसी अपीलों के संबंध में दी जाने वाली फीसों और वे परिस्थितियां जिनके अधीन ऐसी फीसों लौटाई जा सकेंगी;</p>	<p>मार्ग द्वारा लाने या ले जाने के लिए बनाई गई कोई अन्य चीज और कसेन भी है।</p> <p>इन प्रावधानों को प्रस्तावित विधेयक की धारा 25 में ले जाया गया है।</p> <p>-----</p>
--	--

(ड.ड.क) विस्फोटकों की कुल मात्रा जिसे अनुज्ञप्तिधारी एक नियत अवधि में क्रय कर सकता है;

(ड.ड.ख) विस्फोटकों के विनिर्माण, परिवहन, आयात या निर्यात के संबंध में की गई सेवाओं के लिए विस्फोटक मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीसें;

(घ) वह छूट, जो पूर्णतः या शर्तों के अध्याधीन किन्हीं विस्फोटकों को या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इन नियमों के प्रवर्तन से दी जानी है।

5क. उन व्यक्तियों द्वारा जो कुछ विस्फोटकों का पहले से ही कारबार कर रहे हैं, अनुज्ञप्ति के बिना कुछ अवधि के लिए ऐसा कारबार करते रहना-धारा 5 में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारतीय विस्फोटक (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 32) के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी विस्फोटक के विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात का कारबार कर रहा था, जिसके लिए भारतीय विस्फोटक (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन के पूर्व उसके अधीन कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं थी,-

(क) ऐसे प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए; या

यदि तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे व्यक्ति ने ऐसे विस्फोटक का ऐसा कारबार करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाने के लिए आवेदन किया है तो उसके आवेदन के अंतिम रूप से निपटाए जाने तक, इन दोनों में से जो भी बाद में हो।

परिवर्ती (ट्रांजिशनल) प्रावधानों की अब आवश्यकता नहीं है।

6. विशेषतः खतरनाक विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे या आयात को प्रतिषिद्ध करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति- (1) अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा-

(क) किसी ऐसे विस्फोटक के विनिर्माण, कब्जे या आयात को या तो पूर्णतः या शर्तों के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेगी जो इतने खतरनाक प्रकार का है कि केन्द्रीय सरकार की राय में लोक सुरक्षा के लिए समीचीन है कि अधिसूचना जारी की जाए।

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) का किसी ऐसे विस्फोटक के संबंध में जिसके आयात की बाबत इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी की गई है और उस विस्फोटक को अन्तर्विष्ट करने वाले जलयान, गाड़ी या वायुयान के संबंध में वही प्रभाव होगा जैसा किसी ऐसी चीज के संबंध में, जिसका आयात उसके अधीन प्रतिषिद्ध या विनियमित है और ऐसी चीज को अन्तर्विष्ट करने वाले जलयान, गाड़ी या वायुयान के संबंध में उस अधिनियम का है।

6ख. अनुज्ञप्तियों का अनुदत्त किया जाना- (1) जहां कोई व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है वहां अनुज्ञप्तियों के अनुदत्त किए जाने के लिए उस धारा के अधीन बनाए गए नियमों में विहित प्राधिकारी (जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी कहा गया है। ऐसी जांच, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, लिखित आदेश

3. विशेषतः खतरनाक विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे या आयात को प्रतिषिद्ध करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति-

(1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे विस्फोटक के विनिर्माण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात को या तो पूर्णतः या शर्तों के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेगी जो इतने खतरनाक प्रकार का है कि केन्द्रीय सरकार की राय में लोक सुरक्षा के लिए ऐसा करना समीचीन है।

(2) केन्द्र सरकार, लाइसेंस प्रदान करने, उसे निरस्त या रद्द करने और इस अधिनियम के तहत कतिपय अन्य कार्यों को करने के लिए सक्षम प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) का किसी ऐसे विस्फोटक के संबंध में जिसके आयात की बाबत इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी की गई है और उस विस्फोटक को अन्तर्विष्ट करने वाले जलयान, गाड़ी या वायुयान के संबंध में वही प्रभाव होगा जैसा किसी ऐसी चीज के संबंध में, जिसका आयात उसके अधीन प्रतिषिद्ध या विनियमित है और ऐसी चीज को अन्तर्विष्ट करने वाले जलयान, गाड़ी या वायुयान के संबंध में उस अधिनियम का है।

5. लाइसेंस प्रदान करना -

(1) कोई व्यक्ति, जो विस्फोटक या विस्फोटक की विनिर्दिष्ट श्रेणी का विनिर्माण, इन्हें रखना, इनका उपयोग, बिक्री, परिवहन, आयात और निर्यात करना चाहते हैं वे लाइसेंसिंग प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दस्तावेज के साथ-साथ शुल्क और अन्य व्यय

द्वारा या तो अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी निम्नलिखित दशाओं में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा:-

(क) जहां किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है वहां यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की गई है, उसे प्राप्त करने के लिए अच्छा कारण है।

i. विस्फोटकों के विनिर्माण का तकनीकी व्यवहार-ज्ञान और अनुभव रखता है; या

ii. उसके नियोजन में ऐसे तकनीकी व्यवहार-ज्ञान रखने या अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं या वह ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए वचनबद्ध है; या

(ख) जहां विस्फोटकों के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित हो वहां यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की गई है, उसे प्राप्त करने के लिए अच्छा कारण है।

सहित ऐसे प्रपत्र में आवेदन करेंगे जैसाकि विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) जहां कोई व्यक्ति धारा उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच के पश्चात्, विनिर्दिष्ट प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा या तो अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी निम्नलिखित दशाओं में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा:-

(क) जहां विस्फोटकों के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित हो वहां यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की गई है,-

(i) विस्फोटकों के विनिर्माण का तकनीकी व्यवहार-ज्ञान और अनुभव रखता है; या

(ii) उसके नियोजन में ऐसे तकनीकी व्यवहार-ज्ञान रखने या अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं या वह ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए वचनबद्ध है; या

(ख) जहां किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है वहां यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की गई है, उसे प्राप्त करने के लिए अच्छा कारण है।

(4) इस अधिनियम के तहत लाइसेंस ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन ऐसी अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा जैसाकि

	<p>विनिर्दिष्ट किया जाए।</p> <p>(5) लाइसेंसिंग प्राधिकारी इस धारा के तहत प्रदान किए गए लाइसेंस में विस्फोटकों की ऐसी मात्रा विनिर्दिष्ट करेंगे, जिसे लाइसेंसधारक ऐसी अवधि के लिए विस्फोटक का विनिर्माण कर सकेंगे, इन्हें रख सकेंगे, इनकी बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात कर सकेंगे, जैसाकि विनिर्दिष्ट किया जाए।</p>
<p>9ख. कतिपय अपराधों के लिए दण्ड- (1) जो कोई धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों का या उक्त नियमों के अधीन अनुदत्त की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में,-</p> <p>(क) किसी विस्फोटक का विनिर्माण, आयात या निर्यात करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा;</p> <p>(ख) किसी विस्फोटक को कब्जे में रखेगा, उसका प्रयोग करेगा, विक्रय करेगा या परिवहन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और</p> <p>(ग) किसी अन्य मामले में ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।</p> <p>(2) जो कोई धारा 6 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण करेगा, उसका कब्जा रखेगा या उसका आयात करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और जलमार्ग द्वारा आयात किए जाने की दशा में जलयान के स्वामी और मास्टर में से प्रत्येक या वायुमार्ग द्वारा आयात किए जाने की दशा में उस वायुयान के जिसमें विस्फोटक आयात किया जाता है, स्वामी और मास्टर में से प्रत्येक युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा,</p>	<p>14. कतिपय अपराधों के लिए दण्ड-</p> <p>(1) जो कोई इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों का या उक्त अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अनुदत्त की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में,-</p> <p>क. किसी विस्फोटक का विनिर्माण, आयात या निर्यात करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा;</p> <p>ख. किसी विस्फोटक को कब्जे में रखेगा, उसका प्रयोग करेगा, विक्रय करेगा या परिवहन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और</p> <p>ग. किसी अन्य मामले में ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।</p> <p>2. जो कोई धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण करेगा, उसका कब्जा रखेगा या उसका आयात करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो</p>

दण्डनीय होगा।

(3) को कोई,-

(क) धारा 6क के खण्ड (क) के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात, निर्यात करेगा या उसका कब्जा रखेगा; या

(ख) उस धारा के खण्ड (ख) के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विक्रय, परिदान या प्रेषण करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा; या

(ग) धारा 8 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी दुर्घटना की सूचना देने में असफल रहेगा वह-

(i) जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या

(ii) यदि दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई है तो कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और जलमार्ग द्वारा आयात किए जाने की दशा में जलयान के स्वामी और मास्टर में से प्रत्येक या वायुमार्ग द्वारा आयात किए जाने की दशा में उस वायुयान के जिसमें विस्फोटक आयात किया जाता है, स्वामी और मास्टर में से प्रत्येक युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

3. को कोई,-

क. धारा 4 के खण्ड (क) के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात, निर्यात करेगा या उसका कब्जा रखेगा; या

ख. उस धारा के खण्ड (ख) के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विक्रय, परिदान या प्रेषण करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा; या

ग. धारा 11 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी दुर्घटना की सूचना देने में असफल रहेगा वह-

i. जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या

ii. यदि दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई है तो कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

परिणामी परिवर्तनों सहित मौजूदा अधिनियम की धारा 5

25. नियम बनाने की शक्तियां-

(1) केन्द्र सरकार, पूर्व प्रकाशन के अध्यक्षीन अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित

करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में सभी या निम्नलिखित किसी मामले के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं, अर्थात:-

(क) धारा 2 के खंड (छ) के तहत ऐसा कोई प्राधिकारी;

(ख) धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत लाइसेंस प्रदान करने, उसे निरस्त करने या रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी;

(ग) उप-धारा (1) के तहत आवेदन करने के लिए प्रारूप और विधि, दस्तावेज, भुगतान किए जाने वाले शुल्क और व्यय, ऐसी अवधि और शर्तें जिस पर उप-धारा (4) के तहत लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, विस्फोटकों की मात्रा और अवधि जिसमें कोई लाइसेंसधारक धारा 5 की उप-धारा (5) के तहत विस्फोटक का विनिर्माण, इन्हें रख सकते हैं, इनकी बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात कर सकते हैं;

(घ) उप-धारा (1) के तहत अपील करने का प्राधिकारी और अवधि, उप-धारा (4) के तहत ऐसी अपील के लिए शुल्क और धारा 9 की उप-धारा (5) के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत निरीक्षण, जांच और जब्त करने, रोक रखने और हटाने की शक्तियां;

(च) धारा 11 के तहत नोटिस देने का समय और विधि;

(छ) खंड (क) के तहत पूछताछ को

	<p>विनियमित करने की प्रक्रिया, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को खंड (ख) के तहत किसी पूछताछ में उपस्थित होने या प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने के लिए, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को खंड (ग) के तहत किसी जांच में किसी साक्षी से पूछताछ करने की अनुमति प्रदान करने, ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना जहां मुख्य विस्फोटक नियंत्रक खंड (घ) के तहत किसी पूछताछ में अनुपस्थित रहते हैं या उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है और ऐसी प्रणाली तथा ऐसी अवधि के भीतर जिसमें धारा 12 की उप-धारा (4) के खंड (ड) के तहत नोटिस दिया जाएगा;</p> <p>(ज) धारा 13 की उप-धारा (6) के तहत जांच की प्रणाली; और</p> <p>(झ) कोई अन्य मामला जिसे विनिर्दिष्ट किया जाएगा या विनिर्दिष्ट किया जाए।</p>
<p>-----</p> <p>प्रावधानों को पर्याप्त सावधानी के तौर पर जोड़ा गया है।</p>	<p>27. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति-</p> <p>(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों और जो उसे कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:</p> <p>बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं किया जाएगा।</p> <p>(2) इस धारा के तहत किया गया प्रत्येक आदेश, आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।</p>
<p>-----</p>	<p>28. निरसन और व्यावृत्ति-</p>

अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई को जारी रखने की आवश्यकता है।

1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) का निरसन किया जाएगा

बशर्ते कि ऐसा निरसन निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा-

(i) निरसन के तहत अधिनियमन के तहत प्रदान किए गए लाइसेंसों का पूर्व प्रचालन, किए गए या जारी किए गए आदेश या सम्यक रूप से किए गए या प्रभावित हुए हैं तो उनकी समाप्ति की तारीख तक यदि कोई हो, या

(ii) निरसन के तहत अधिनियमन या आदेशों के अधीन अर्जित (एक्वार्यड), प्रोद्भूत (एकूर्ड) या उपगत (इंकर्ड) कोई अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य या दायित्व; या

(iii) निरसन के तहत अधिनियमन के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में कोई पेनल्टी, जब्ती या दण्ड; या

(iv) किसी पेनल्टी, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच या उपाय और नियत तारीख से पहले की गई कोई जांच, विधिक कार्रवाई या उपाय जारी रहेगा और वह इस प्रकार से लागू रहेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किया गया हो, जारी रखा गया हो या लागू किया गया हो।

(2) उस समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निरस्त किए गए अधिनियम के तहत किसी अपराध को संज्ञान में नहीं लेगा।

(3) पूर्व अधिनियमन के निरस्त होते हुए

भी, ऐसे अधिनियमन के तहत बनाए गए नियम, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से लागू हैं, इस अधिनियम के तहत नए नियम बनाए जाने तक लागू रहेंगे।
